

११-७-२२

पतावली पेश हुई। कमील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थी व अप्रार्थी को न्यायालय समक्ष
आ-आ कर डायलॉग लगाई गई लेकिन कोर्ट उपस्थित
नहीं हुए हैं। कोर्ट आ-आ प्रार्थी व कमील को परामर्श
देकर दिये जाने पर भी अप्रार्थी व कोर्ट गमील
द्वेषु चलवाना कोर्ट पेश नहीं किया गया है।

अन-प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश ३९
नियम २A सफाई द्वारा १५/७/२०१७ अप्रार्थी को
भी तलबी हेतु चलवाना कोर्ट पेश पेश नहीं
किये के अभाव में कोर्ट पर किया जाता है।

पतावली को सति शुमार होकर कमील से काम-
दोष दायित्व दफ्तार हो। निर्णय सुले न्यायालय
में सुनाया गया।

उपरखंड अधिकारी
सांभर लोक

